Title: Reg: Submission of Report by Rohini Commission on sub-categorisation within Other Backward Classes (OBCs).

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद) : ओबीसी समुदायों का उप वर्गीकरण के उद्देश्य से रोहिणी आयोग 2017 में गठित हुआ था और उसके एक साल बाद 2018 में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, परंतु 5 वर्ष बीतने के बाद भी आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाया है।

इस आयोग का कार्यकाल 13वीं बार जुलाई 2022 में बढ़ा दिया गया और अब इसे 31 जनवरी 2023 तक अपनी रिपोर्ट देनी है।

जून 2022 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि आयोग ने अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग नहीं की है और जुलाई के अंत तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो ऐसे में आयोग को पुनः एक्सटेंशन दिया जाना, समझ से परे है । रिपोर्ट में देरी से अति पिछड़ा समाज को काफी नुकसान हो रहा है।

एक सरकारी आंकड़े के अनुसार नौकरी और अलग अलग भर्तियों में 24.95 प्रतिशत हिस्सा केवल 10 ओबीसी समाज को ही मिल पाया, जबकि 994 ओबीसी उपजातियों का प्रतिनिधित्व केवल 2.68 % है। इसी तरह शैक्षणिक संस्थानों में 983 ओबीसी समुदायों का प्रतिनिधित्व शून्य के बराबर है।

रोहिणी आयोग के रिपोर्ट से अति पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा।

मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि रोहिणी आयोग को कोई और विस्तार न देते हुए हर हाल में जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा जाए ताकि अति पिछड़ा समाज को न्याय मिल सके।